[17/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 830]

कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना (म0प्र0)

संयुक्त कार्यालय(कलेक्ट्रेट) भवन कक्ष क्र. 34 जिला पन्ना मध्यप्रदेश पिन–488001 दूरभाष 07732–252003 Email-dmpanna@nic.in

पन्ना दिनांक 04/12/2024

क्रमांक/1973 /व0लि0शाखा/2024

प्रति,

सचिव,
म0प्र0 शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)

विषय :– विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 830 द्वारा माननीय श्री राजेश कुमार वर्मा, विधानसभा सदस्य की जानकारी भेजने बावत।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक एफ 6–50/2024/1/4 भोपाल दिनांक 28.11.2024

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 830 द्वारा माननीय श्री राजेश कुमार वर्मा, विधानसभा सदस्य से संबंधित जानकारी/उत्तर निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>क्र</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर/पन्ना, तहसीलदार तहसील गुनौर /अमानगंज/ देवेन्द्रनगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना/गुनौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गुनौर, अमानगंज, ककरहटी, देवेन्द्रनगर जिला पन्ना को कितने पत्र प्रेषित किये गये एवं प्रेषित किये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्रों पर कार्यवाही कर अवगत न कराने का क्या कारण है ?

अनु[illegible] अधिकारी
म[illegible] शासन,
[illegible]न्य प्रशासन विभाग</td><td>माननीय श्री राजेश कुमार वर्मा विधानसभा सदस्य महोदय द्वारा कुल 216 पत्र प्रेषित किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कार्यालय का नाम</th><th>प्राप्त पत्रों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कलेक्टर जिला पन्ना</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना,</td><td>59</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर</td><td>44</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>तहसीलदार, गुनौर</td><td>02</td></tr>
<tr><td>6</td><td>तहसीलदार, अमानगंज</td><td>01</td></tr>
<tr><td>7</td><td>तहसीलदार, देवेन्द्रनगर</td><td>00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना</td><td>01</td></tr>
<tr><td>9</td><td>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर</td><td>13</td></tr>
<tr><td>10</td><td>मुख्य नगर पालिका अधिकारी गुनौर</td><td>01</td></tr>
<tr><td>11</td><td>मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमानगंज</td><td>01</td></tr>
<tr><td>12</td><td>मुख्य नगर पालिका अधिकारी ककरहटी</td><td>04</td></tr>
<tr><td>13</td><td>मुख्य नगर पालिका अधिकारी देवेन्द्रनगर</td><td>00</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>216</td></tr>
</table>
प्रेषित किये गये पत्रों को संबंधित कार्यालय प्रमुख को नियमानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय विधायक महोदय को निरंतर रूप से कार्यवाही पूर्ण होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा अवगत कराया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>क्या सत्र जुलाई 2024 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2604 के उत्तर में पत्रों पर कार्यवाही प्रचलन में है का उल्लेख किया गया था। यदि हॉ तो क्या पत्रों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि नही तो क्यो ?</td><td>जी हॉ। सत्र जुलाई 2024 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2604 के उत्तर में पत्रों पर कार्यवाही प्रचलन में है का उल्लेख किया गया था जिनमें कार्यालय प्रमुख द्वारा निम्नानुसार निराकरण किया गया है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कार्यालय का नाम</th><th>प्राप्त पत्रों की संख्या</th><th>कार्यवाही पूर्ण</th><th>शेष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कलेक्टर जिला पन्ना</td><td>33</td><td>23</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना	33	29	04
3	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर	16	00	16
4	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना	03	02	01
5	तहसीलदार, गुनौर	00	00	00
6	तहसीलदार, अमानगंज	01	01	00
7	तहसीलदार, देवेन्द्रनगर	00	00	00
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना	00	00	00
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर	03	00	03
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी गुनौर	00	00	00
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमानगंज	00	00	00
12	मुख्य नगर पालिका अधिकारी ककरहटी	03	03	00
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी देवेन्द्रनगर	00	00	00
	योग	97	58	39

कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने पर माननीय विधायक महोदय को निरन्तर अवगत कराया जा रहा है।

(ग)	क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 19–76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2011 द्वारा माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश शासन के समस्त विभागों सहित जिला कलेक्टर्स को दिये गये है? यदि हॉ तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों पर कार्यवाही न करने अथवा कार्यवाही से अवगत न कराने के लिये कौन दोषी है ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?	जी हॉ। प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित पत्रों पर कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्यवाही कर माननीय विधायक महोदय को निरन्तर अवगत कराया जा रहा है। अतः दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न उद्‌भूत नही होता है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

(नीलाम्बर मिश्र)
अपर कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/1974 /व0लि0शाखा/2024 पन्ना दिनांक 04/12/2024

प्रतिलिपि :–

कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

D:\SC Data\A0\VS 2022-23\VS 2022-23-24.docx